विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

लोकतंत्र की कसौटी पर चुनावी बॉण्ड का आंकलन

लोकतंत्र की सार्वभौमिक पहचान में कई प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं, जिनमें बोलने, सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत मानवाधिकारों की सुरक्षा शामिल है; कानून का शासन, कानून के समक्ष सबकी समानता, पारदर्शी और उत्तरदाई शासन; नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जहां नागरिकों को वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है; निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी; स्वतंत्र न्यायपालिका; अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा; प्रेस व पत्रकारिता की स्वतंत्रता; और शक्ति के संकेंद्रण व दुरुपयोग रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली भी शामिल है। ये मूलभूत सिद्धांत सामूहिक रूप से एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक समाज की नींव बनाते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें आप लोकतंत्र की कसौटी कह सकते हैं जिसका प्रयोग कर आप किसी भी व्यवस्था के कार्यों के लोकतांत्रिक होने या न होने की जांच-पड़ताल कर सकते हैं।

आइये, इन सार्वभौमिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की कसौटी पर भारत में इलेक्टोरल बांड की खरीद और प्राप्तकर्ताओं के सन्दर्भ में एक विश्लेषण करते हैं। यह एक आम बात है कि भ्रष्टाचार को रोकने और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से राजनीतिक चंदेका पारदर्शी संचालन होना चाहिए। चुनावी चंदे के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार है और लोगों को यह जानकारी देकर राजनीतिक दलों को उत्तरदाई ठहराया जा सकता है। इससे नागरिक समुचित निर्णय ले सकते हैं। फिर भी, यहाँ यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे के संबंध में उपलब्ध विधान और उसकी कानूनी वैधता आदि का वर्तमान में न्यायालय में आकलन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यह विषय एक बार पुन: देश में गंभीर चर्चा में आ गया है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रकाश में भारत में चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं की जानकारी का खुलासा नागरिकों को किया जाये या नहीं इस के नैतिक और कानूनी निहितार्थों के संबंध में विविध व्याख्याएं और दृष्टिकोण मौजूद हैं। सारांश में इन्हें देखना समीचीन रहेगा।

नैतिक दृष्टिकोण से पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ हैं। नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग स्त्रोतों का खुलासा और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लोगों का मौलिक अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा होती है और भ्रष्ट प्रथाओं या अनुचित प्रभाव की घटना को रोकने में मदद मिलती है। चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करके पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। इससे मतदाता निर्णय लेने और राजनीतिक दलों को उनके मौद्रिक लेनदेन के लिए जिम्मेदार ठहराने में सक्षम हों सकेंगे।

कानूनी दृष्टिकोण से चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा एक जटिल कानूनी स्थिति वाला एक विवादास्पद मुद्दा है। चुनावी बांड के कार्यान्वयन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य दाताओं की गोपनीयता की रक्षा करना और उन पर निर्देशित किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रिया या पूर्वाठाह को रोकना था। फिर भी, विरोधियों का तर्क है कि पारदर्शिता की यह अनुपस्थिति क्विड प्रो क्वो (यानी, कुछ के लिए कुछ) सहित राजनीतिक संगठनों के वित्तीय लेनदेन की जांच करने की व्यक्तियों की क्षमता को बाधित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट कर देती है।

उदाहरण के लिए, एक कॉर्पोरेट समूह, अनुकूल नीति परिवर्तन की अन्दर ही अन्दर मांग करते हुए, चुनावी बांड के माध्यम से एक राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय ले सकता है। बदले में, पार्टी ऐसी नीतियां पेश करती है जो उस कॉर्पोरेट घराने के हितों के अनुरूप होती हैं। यह अदला-बदली की स्थिति वाली व्यवस्था राजनीति में धन के प्रभाव और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ समझौते की आशंका के बारे में चिंताउत्पन्न करती है। यह लोकतंत्र के लिए सतत चुनौती है। संबंधित कॉर्पोरेट घराने द्वारा प्रदान की गई फंडिंग तथाउनके पक्ष में नीतिगत बदलाव एक दुष्चक्र पैदा कर सकने में सक्षम हैं। विशेष कॉर्पोरेट घराना अनुकूल नीतियों के कारण अधिक कमाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता में उसी मित्रवत राजनीतिक दल को पुन: अतिरिक्त चंदा मिलता है। यह दुष्प्रभाव के दुष्चक्र को बनाये रखता है और संभावित रूप से प्रतिनिधित्व की विविधता को सीमित करता है और चुनावों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को रोककर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है।

कुछ ऐसे कॉरपोरेट घराने जो मुनाफा नहीं कमा रहे हैं किन्तु चुनावी बांड के माध्यम से धन क्यों मुहैया कराते हैं? रोचक बात यह है कि ऐसे कुछ कॉरपोरेट घरानों के उदाहरण हैं, जिन्होंने नीति निर्माताओं तक प्रभाव और पहुंच प्राप्त करने के लिए चुनावी बांड के माध्यम से धन मुहैया कराया है, और करा सकते हैं, भले ही वे वर्तमान में घाटे में चल रहे हों। स्वाभाविक है कि उनका लक्ष्य,सत्ता में एक राजनीतिक दल का समर्थन करकेअपने पक्ष में नीतियों को आकार देना, नियामक लाभ सुरक्षित करना और अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना है। यह रणनीतिक निवेश उन्हें एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाए रखने और उनकी वर्तमान लाभप्रदता की परवाह किए बिना, उनके लाभ के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संभावित रूप से प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।

संक्षेप में, भारत में चुनावी बांड कहां से आते हैं और किसे दिए जाते हैं, इसे सार्वजनिक करने के नैतिक और कानूनी प्रभावों पर अलग-अलग राय मौजूद हैं। हालाँकि, लोकतांत्रिक समाज के लिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा में खुलेपन, जिम्मेदारी और जनता के हित के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यह स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है: इस प्रकार का चंदा की प्रक्रिया लोकतंत्र से कैसे समझौता करती है? यह प्रक्रियादलों के मध्य असमानताबढ़ाती है और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कमजोर करके लोकतंत्र से समझौता करती है। जब कॉर्पोरेट घराने सत्ता में मौजूद किसी राजनीतिक दल को अनुपातहीन रूप से बड़ी धनराशि मुहैया कराते हैं, तो इससे सत्ता और प्रभावित केवल कुछ राजनीतिक संस्थाओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है निरंतर केन्द्रित रह सकती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत कर सकता है, क्योंकि नीतियां और निर्णय जनता के व्यापक हितों के बजाय इन निगमों के हितों से प्रभावित हो सकते हैं। यह एक ऐसी सरकार की धारणा को ख़त्म कर सकता है जो लोगों के हितों की सेवा करती है। इसके बजाय वित्तीय समर्थन वाले लोगों के एजेंडे को प्राथमिकता मिलाने लगती है। ऐसी स्थिति समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक आदर्श को कमज़ोर करता है।

हालाँकि चुनावी बांड पर बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शोधपत्रों ने कंपनी के मूल्य और परिचालन प्रदर्शन पर भारतीय उद्यमों की राजनीतिक निकटता और नकदी-धारण व्यवहार के प्रभाव का पता लगाया है। उदाहरण के लिए 2009 और 2019 के बीच भारत में तीन आम चुनावों के दौरान सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के लिए राजनीतिक दान और राजनीतिक संबंधों के एक बड़े डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों ने कम जुड़े या नहीं जुड़े समकक्षोंसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा, राजनीतिक रसूख और उच्च नकदी शेष वाली भारतीय कंपनियों का अंततः प्रीमियम पर मूल्यांकन होता पाया गया है। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद किये गए सांख्यिकीय विश्लेषण में भीये निष्कर्ष स्थिर, मजबूत और विश्वसनीय बने रहते हैं। जैसा कि अब सर्वविदित है, वित्त विधेयक 2017 में संशोधन ने चुनावी बांड का विधान प्रस्तुत किया था। इन प्रावधान ने बड़े दान के माध्यम से बड़े उद्योग-धंधों और सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाया है (देखें के. गांगुली इत्यादि, इमर्जिंग मार्केट्स फाइनेंस एंड ट्रेड, 59(10): 3241-3265, 2023).

एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि चुनावी बांड वस्तुत: कॉर्पोरेट घरानों के लिए अपने राजनीतिक चंदे को छुपाना आसान बनाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं बताते कि चंदा किस राजनीतिक दल के लिए है। कंपनियां नई चुनावी बांड योजना की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो इस शोध के निष्कर्षों के अनुसार मनीलॉन्ड्रिंग की आशंका को बढ़ा देती है। हालाँकि मामला अब अदालत में है, तथापि पूर्व में त्वरित निर्णय देने की विफलता के कारण यह प्रश्न तो उठता है कि क्या न्यायपालिका नेसंविधान के अंतिम मध्यस्थ और रक्षक के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया था? खैर, जो भी हो,शोध यह सिद्ध करती है कि चुनावी बांड के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ मिलता है। गोपनीयता और गुमनाम लेनदेन लोकतंत्र में जवाबदेही को कमजोर करतेहैं और इस प्रकार, चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी दुर्बल करती है। संक्षेप में, इलेक्टोरल बांड के प्रावधान ने देश में लोकतंत्र की स्थिति को और कमज़ोर किया है, क्योंकि इस व्यवस्था में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाता कि ऐसे चंदे के परिणामस्वरूप जो कॉर्पोरेट घरानों द्वारा मतदाताओं को अंधेरे में रखकर पार्टी फण्ड में दिया गया है, के कारण चंदा-प्राप्त सत्तारूढ़ दल द्वारा उन कॉर्पोरेट घरानों को किस प्रकार की नीति बनाकर या देश के कौन से संसाधनों तक कॉर्पोरेट की पहुँच सुनिश्चित कर समर्थन प्रदान किया गया है (देखें, डी. आनंद, जर्नल ऑफ लिबर्टी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 9(1):89-100, 2023)।

प्रारंभिक विश्लेषण भी चुनावी बांड की शुरूआत को प्रतिगामी उपाय ही बताते हैं क्योंकि यह चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता को मूलभूत रूप से बदल देता है। बांड के खरीदार और प्राप्तकर्ता की पहचान को नागरिकों और समाज से छिपाकर सत्तारूढ़ पार्टी क्या अनुचित लाभ दे रही है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो पाता। शोध में यह भी चिंता प्रकट की गई है की यह व्यवस्था चुनाव आयोग की निरीक्षण और नियंत्रण की भूमिका भी कमजोर करती है (के.के. जसवाल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54(21):32-36, 2019)। इससे भी आगे, ठोस एम्पीरिकल शोध भी यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी अभियान में ऐसे धन का अभूतपूर्व स्तर परव्यय करने में सक्षम पाया गया जो कि फंडिंग की अपारदर्शिता के माध्यम से उनके पास आया था जो चुनावी बांड के माध्यम से लोगों के लिए जान सकने की क्षमता से बाहर कर दिया गया था (देखें, जी. वर्नियर्स, सी. जाफ़रलॉट, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, 28(2): 155-177, 2020)।

चुनावी बांड का खुलासा न करना वर्तमान में न्यायिक चुनौतियों का विषय रहा है, और अब तक यह मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है। लोकतांत्रिक राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का महत्व यह स्पष्ट करता है कि गैरकानूनी गतिविधियों को छुपाना ही औचित्य नहीं बन जाना चाहिए। स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों की गारंटी में निजता के अधिकार और व्यापक जनहित के बीच संतुलन बनाने के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अब अंतिम प्रश्न आता है। हम देश के लोकतंत्र को बचाते हुए चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट फंडिंग कैसे जारी रख सकते हैं? कॉर्पोरेटफंडिंग और लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए पारदर्शिता हेतु मजबूत उपाय करना महत्वपूर्ण है। चुनावी बांड से जुड़ी समस्त जानकारी का पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण आवश्यक होने से लागू करना चाहिए; जानकारी तक रियल-टाइम में सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और चुनावी प्रचार अभियान के समय खर्च व वित्तीय नियमों को मजबूत करना आदि जवाबदेही बनाए रखने और अनुचित प्रभाव को रोकने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना, छोटे दानदाताओं को प्रोत्साहित करना और राजनीतिक परिदृश्यकी विविधता को बढ़ावा देना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए कॉर्पोरेट फंडिंग से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।

संक्षेप में, भारत में चुनावी बांड कहां से आते हैं और किसे दिए जाते हैं, इसे सार्वजनिक करने के नैतिक और कानूनी प्रभावों पर अलग-अलग राय मौजूद हैं। हालाँकि, लोकतांत्रिक समाज के लिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा में खुलेपन, जिम्मेदारी और जनता के हित के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, लोकतंत्र के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों की कसौटी पर परखा गया यह निष्कर्ष भारत में चुनावी बांड के बारे में प्रत्येक नागरिक के जानने के अधिकार के पक्ष में है। अत: इलेक्टोरल बांड के बारे में पूर्ण और निर्बाध पारदर्शिता लाना अनिवार्य तथा लोकतंत्र के हित में है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंगप्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

"एन. ए. ए. सी." में सुधार आवश्यक

डॉ.कैलाश सोडाणी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अंतर्गत 1994 में स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बेंगलोर (एनएएसी) भारत में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के ऑकलन तथा प्रत्यायन का कार्य करती ह। उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता की स्थिति को जानने का कार्य किया जाता है। नैक द्वारा निष्पादित मानकों को कॉलेजों द्वारा किस स्तर तक पूरा किया जा रहा है। शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन समयानुकूल पाठ्यक्रम एवं क्रियान्वयन शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम अध्यापकों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशनए बुनियादी सुविधाओं की स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति छात्र सेवाएँ तथा स्टेक होल्डर्स के संस्था के बारे में विचार इत्यादि मूल्यांकन में सम्मिलित हैं। इस समय देश में कुल 1,074 विश्वविद्यालयों में से 441 एवं लगभग 45000 कॉलेजों में से 9,400 ने ही नैक से मूल्यांकन करवाया है। जो निश्चित रूप से धीमी गति के समाचार हैं।

नैक के मानकों में क्लास रूम टीचिंग, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शिक्षकों को देय वेतन एवं कॉलेज फीस सम्मिलित नहीं है। इन मुख्य स्तम्भों के अभाव में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के मूल्यांकन का बहुत अधिक औचित्य नहीं रह जाता है। विद्यार्थी की शैक्षणिक यात्रा के मुख्यत: दो पडाव है पहला क्लास रूम एवं दूसरा खेल का मैदान। छात्र जीवन का ज्यादातर समय क्लासरूम लेबोरेट्री एवं लाइब्रेरी में ही व्यतीत होना चाहिए। विद्यार्थी का क्लासरूम के प्रति लगाव बनाये रखने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु की तैयारी के साथ नियमित रूप से कक्षा में जाना होगा। विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के लिए उससे यह अपेक्षा वाजिब है कि वह प्रतिदिन घण्टे दो घण्टे खेल के मैदान पर व्यतीत करेगा। नैक द्वारा इन्हें नजरअंदाज करने के कारण पिछले काफी समय से क्लासरूम टीचिंग कमजोर हो गयी है। विद्यार्थी नियमित होते हुए भी कॉलेज नहीं आ रहा है। अंतिम परिणाम यह हो रहा है कि क्लास रूमए खेल के मैदान एवं रंगमंच वीरान हो गये हैं।

दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थान का मुख्य किरदार है शिक्षक, उसको मिलने वाला वेतन सुविधाओं को नैक ने कोई महत्व नहीं दिया है। सभी जानते है नैक से ए प्लस प्लस ग्रेड प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षक को यूण्जीण्सीण् वेतनमान से बहुत नीचे के पायदान पर खडा कर रखा है। कमजोर वेतन एवं सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं वहाँ शिक्षक बनना स्वीकार नहीं करती है तो फिर ऐसे ए प्लस प्लस संस्थानों में क्वालिटी टीचिंग कैसे संभव है। एक शिक्षण संस्थान अपने शिक्षक को 2 लाख रूपया महीने वेतन भुगतान करता है और दूसरा मात्र 20 हजार रूपए महीना। नैक दोनों में कोई अन्तर नहीं करता है। निश्चित रूप से विद्यार्थी को मिलने वाले ज्ञान के स्तर में तो अंतर रहेगा। नैक द्वारा शिक्षक के वेतन को मानकों में सम्मिलित नहीं करने से निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक को देय वेतन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नैक की 30 वर्ष की यात्रा के बाद भी शिक्षकों का शोषण यथावत है। परिणामस्वरूप प्रतिभाएं मार्ग बदल रही हैं। विद्यार्थी के लिए फीस का अपना महत्व है और हमेशा रहेगा। परन्तु नैक की तराजू में इतने महत्वपूर्ण मानक को कोई जगह नहीं दी गयी है। एक संस्थान किसी पाठ्यक्रम की पढाई के लिए 10 हजार रू. फीस ले रहा है और उसी पाठ्यक्रम के लिए दूसरा संस्थान एक लाख रू.फीस लेता है। परन्तु नैक 10 हजार रू.फीस लेने वाले संस्थान को पुरस्कृत नहीं करता है। यह उचित नहीं है। नैक को अपने मानकों में फीस को वाजिब स्थान देना चाहिए जिससे शैक्षणिक संस्थानों को अपनी फीस विद्यार्थी हित में रखने की प्रेरणा मिलेगी।

नैक में अध्ययन अध्यापन के स्थान पर कागजी कार्यवाही महत्वपूर्ण हो गई है। जिससे इस व्यवस्था में प्रोफेशनल आ गये हैं। धीरे-धीरे शिक्षक गौण होता जा रहा है। शिक्षा जगत के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।

नैक निरीक्षण हेतु आने वाली पीयर टीम के सदस्य संस्था की प्रकृति के अनुरूप होने चाहिए अन्यथा संस्था के साथ न्याय नहीं होगा। पिछले माह मेरे दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले खुले विश्वविद्यालय में नैक द्वारा जो पीयर टीम भेजी गयी उनमे एक भी सदस्य दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से नहीं था। परिणामस्वरूप निरीक्षण के समय अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पडा। साथ ही इस प्रकार से गठित टीम द्वारा प्रदत्त ग्रेड से संस्था कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। यह तो वही स्थिति है कि किसी विद्यार्थी की गणित की उत्तरपुस्तिका राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर को जाँचने के लिए दे दी गयी हो। किसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य के प्रोफेसर से करवाया जाना पूर्णतया गलत है। नैक को कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की प्रकृति के अनुरूप निरीक्षण करने वाले सदस्यों की सूची बनाना चाहिए।

निसंदेह नैक से कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सुधार का माहौल बना है। परन्तु बहुत कुछ सुधार अपेक्षित है, आवश्यक है।

- डॉ. कैलाश सोडाणी,
कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विवि कोटा

डूंगरपुर के प्रमुख पेयजल स्त्रोत "एडवर्ड समंद" का पानी जीरो लेवल पर पहुंचा

प्रमुख स्त्रोत डिमिया भी अपनी भराव क्षमता को पूरा नहीं करने से खाली हो रहा है

डूंगरपुर, (निसं)। शहर की पेयजल का प्रमुख स्त्रोत इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण भर नहीं पाये थे। जिसके चलते अब इन पेयजल स्त्रोतों में लगातार पानी खत्म हो रहा था। शनिवार को तो जब एडवर्ड समंद का मुआयना किया गया तो उसका पानी जीरो लेवल को छू गया। जहां से पानी को लिफ्ट कर टंकियों में ले जाना बंद हो जायेगा।

वहीं दूसरी ओर दूसरा प्रमुख स्त्रोत डिमिया भी अपनी भराव क्षमता को पूरा नहीं करने के कारण अब लगातार खाली हो रहा है और आगामी कुछ दिनों में वह भी जीरो लेवल पर आ जायेगा। ऐसे में एक माह पूर्व ही प्रशासन व शासन को समाचार पत्रों के जरिये इन दोनों प्रमुख स्त्रोतों की हालत से अवगत करा दिया गया था, लेकिन न तो सत्ता के रसूखदारों व ना ही प्रशासन के आला अफसरों को आम जनता को आगामी दिनों में आने वाली परेशानी से कोई सरोकार रहा। जबकि सोम कमला आम्बा से पेयजल इस क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रूपयों की योजना स्वीकृत हुई और लम्बा अर्सा गुजर गया और उसकी पाईप लाईने भी बिछा दी गई है। लेकिन सोम कमला आम्बा पर जो फिल्टर प्लांट तैयार करने का जिम्मा जिन अधिकारियों के हवाले था उनके अपने निजी स्वार्थ व लापरवाही के चलते अभी तक उस फिल्टर प्लांट का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ऐसे में यदि डूंगरपुर शहर की पेयजल आपूर्ति का दूसरा स्त्रोत डिमिया भी अगर जीरो लेवल पर आ गया तो शहर की पेयजल आपूर्ति आकस्मिक रूप से कहीं ठप्प न हो जाये। जब कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल को लेकर इस वर्ष वांगड सहित पूरे उदयपुर संभाग में कम वर्षा के चलते पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दे दिये गये हैं। लेकिन इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते शहर की पेयजल व्यवस्था अब खतरे में पड़ने के कगार पर है।

- **विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते पेयजल व्यवस्था अब खतरे में पड़ने के कगार पर**

हालांकि अभी से शहर में एकान्तर व दो-दो दिन के बाद पेयजल आपूर्ति की जा रही है। और इसी के चलते इन दिनों शहर में स्थित सभी हेडपम्पों पर संबंधित मोहल्लेवासी मोटर उतार कर अपने अपने घरों तक निजी खर्चे से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन से सोम कमला आम्बा बांध पर निमार्णाधीन फिल्टर प्लांट कार्य में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश देनी की मांग की है। ताकि आम जनता पानी जैसी मूलभुत सुविधा से महरूम न हो जाये।

डूंगरपुर शहर की पेयजल का प्रमुख स्त्रोत एडवर्ड का पेयजल स्तर जीरो लेवल पर पहुंचा।

शोध पत्र लेखन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला सम्पन्न

जोधपुर, (कासं)। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस-2023 समारोह के अन्तर्गत मासपर्यन्त आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानव संसाधन विकास केन्द्र के तत्वावधान में शोधपत्र लेखन विषयक छह दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला समारोह पूर्वक सम्पन्न हुई।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि आई. सी. एम. आर. नई दिल्ली के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के रिसर्च एडवाइजर डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि विभिन्न प्रकार की रिसर्च की गाइडलाइन का शोधकार्यों में पालन करते हुए आयुर्वेद में अनुसंधान को उच्च स्तरीय जर्नल में प्रकाशित कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि वर्तमान में आयुर्वेद के विकास में हो रहे शोधकार्यों का रिसर्च के प्रोटोकॉल के साथ शोधपत्रों लेखन एवं उनके बहुचर्चित विख्यात जर्नल्स में प्रकाशन से आयुर्वेद के वैज्ञानिक पक्ष को निरन्तर समृद्ध किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र के निदेशक एवं इस कार्यशाला के आयोजन अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस छह दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में 337 संभागियों ने पंजीयन कराया तथा सोशल मीडिया पर देश के लगभग 2000 व्यक्तियों ने वैज्ञानिक सत्रों के आयोजित व्याख्यानों में भाग लिया। सभागार में आयोजित विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों में शोधपत्र लेखन एवं प्रकाशन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलूओं पर व्याख्यान दिये गये, जिनका फेसबुक एवं यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया। कार्यशाला में विख्यात आयुर्वेदज्ञ एवं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर पूर्व कुलपति प्रो. एस. एस. सावरीकर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के रिसर्च एडवाइजर डॉ. अनिल कुमार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. रोहित शर्मा एवं आईआईटी जोधपुर में बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रो. सुष्मिता झा द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों में शोधपत्र लेखन एवं प्रकाशन विधि विषयक विभिन्न पक्षों पर अतिथि-व्याख्यान एवं दो दिन का प्रेक्टिकल सेशन का भी आयोजन किया।

समारोह में कुलपति प्रो. प्रजापति के कार्यकाल के एक वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने विश्वविद्यालय के शिक्षकगणों के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेजिडेंट डॉ. साक्षी एवम् डॉ. खुशबू ने किया एवं आयोजन सचिव डॉ. मनीषा गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक, मानव संसाधन विकास केन्द्र डॉ. राकेश कुमार शर्मा, आयोजन सचिव डॉ. मनीषा गोयल, डॉ. हेमन्त कुमार, आयोजन सहसचिव डॉ. रवि प्रताप सिंह आदि का सहयोग रहा।

हैवी ब्लास्टिंग से हो रहा खनन, लोगों में दहशत

पाटन पुलिस की मौजूदगी में ब्लास्टिंग की जा रही है।

पाटन, (निसं)। दलपतपुर ग्राम पंचायत की बूजा की ढाणी के पास स्थित खनन क्षेत्र में भारी ब्लास्टिंग से खनन कार्य हो रहा है जिस कारण ढाणी के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

मुकेश गुर्जर ने बताया कि हमारी ढाणी के पास एमएल नंबर 451/4 जो रीना यादव के नाम से स्वीकृत है, तथा एम एल नंबर 449/4 जो विशाल यादव के नाम से स्वीकृत है। इन खदानों में भारी ब्लास्टिंग से खनन कार्य होता है, जिस कारण आए दिन ढाणी में दहशत का माहौल बना रहता है। इस बारे में पूर्व में भी कई बार शिकायत की जा चुकी है उसके बावजूद भी प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। खनन करने वाले लोग पूंजीपति एवं राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं जो पुलिस से सांठगांठ कर पुलिस की मौजूदगी में खनन कार्य करवा रहे हैं। भारी ब्लास्टिंग के कारण भूकंप के झटके जैसा महसूस होता है, वहीं मकान में दरारें भी आ गई है। अगर समय रहते प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई तो ढाणी में बड़ा हादसा भी हो सकता है।

राशिफल रविवार 5 नवम्बर, 2023

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2080, पुष्य नक्षत्र दिन 10:29 तक, शुभ योग दिन 1:36 तक, बालव करण दिन 2:09 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मेष, शुक्र-कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग सूर्योदय से 10:29 तक है। आज कालाष्टमी, अहोई अष्टमी भी है। आज अरूणोदय काल में मथुरा में राधाकुण्ड में स्नान है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 8:05 से 9:27 तक, लाभ-अमृत 9:27 से 12:10 तक, शुभ 1:32 से 2:54 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 6:43, सूर्यास्त 5:38

मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

वृष

परिवार में मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

तुला

अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक

शुभ-मांगलिक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। धन खर्च पर नियंत्रण रखें।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कुंभ

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी।

मीन

खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।